कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

–: आदेश :–

क्र.–190/एक/–08–1/2013/(S.W.)

जबलपुर दिनांक–12 फरवरी 2024

सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक, जो **दिनांक 28 दिसम्बर 2023** को जारी किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश कमांक/सी/1507/तीन–6–6/64 दिनांक 08.02.2024 अधिसूचना से **नगर निगम** न्यायालय बनाये जाने तथा **धारा 138** से संबंधित रिक्त न्यायालयों हेतु अन्य न्यायिक अधिकारियों के पदस्थ होने के फलस्वरूप निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

01. सरल क्र. 45 में दर्शित न्यायालय **सप्तम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर** के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल एवं आपराधिक विषयक विलोपित किया जाता है एवं उसके स्थान पर न्यायालय **रिक्त न्यायालय जोड़ा** जाता है।

02. सरल क्र. 46 में दर्शित न्यायालय **अष्टम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर** के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु कमांक–02 के बाद बिन्दु कमांक 03 एवं 04 विषयक जोड़ा जाता है।

    03. 5,00,000 रूपये से अधिक मूल्यांकन के भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 भाग–ग के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

    04. 5,00,001 से 1,00,00,000 रूपये तक मूल्यांकन के "ए" तथा "बी" श्रेणी के सम्पातिक बाद जो कन्टोमेंट क्षेत्र से उद्भूत हुए हों।

03. सरल क्र. 49 में दर्शित न्यायालय **एकादश व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर** के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु कमांक–02 एवं 03 विलोपित किये जाते हैं।

04. सरल क्र. 50 में दर्शित न्यायालय **द्वादश व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर** के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु कमांक–02 एवं 03 विलोपित किये जाते हैं।

05. सरल क्र. 51 में दर्शित न्यायालय **त्रयोदश व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर** के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल बिन्दु कमांक–01 के बाद बिन्दु कमांक 02 एवं 03 विषयक जोड़ा जाता है।

    02. **0 से 5,00,001** रूपये से अधिक मूल्यांकन के भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 भाग–ग के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

    04. **5,00,001 से 1,00,00,000 रूपये तक** मूल्यांकन के **"ए" तथा "बी"** श्रेणी के सम्पातिक बाद जो **जबलपुर तहसील** से उद्भूत हुए हों।

06. सरल क्र. 53 में दर्शित न्यायालय **पन्द्रहवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड), जबलपुर** के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल एवं आपराधिक विषयक विलोपित किया जाता है एवं उसके स्थान पर न्यायालय **रिक्त न्यायालय जोड़ा** जाता है।

(आलोक अवस्थी)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर